न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सं.. — 11/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.रवला पुत्र भगवानाराम 2.रणछाराम पुत्र मनरूपा, 3.बाबूलाल पुत्र मनरूपा, 4.सिणगारी बेवा मनरूपा, जाति मेघवाल, निवासीगण जाखड, हाल–गेना का गोलिया, तहसील सांचोर, जिला जालोर		1.भगवाना पुत्र भबूताराम 2.हरिराम पुत्र भबूताराम 3.किशनाराम पुत्र भबूताराम, जाति विश्नोई, निवासी गेना का गोलिया, तहसील सांचोर, जिला जालोर 4.तहसीलदार (भूमिधारी,सांचोर

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1.श्री शम्भूदान आसिया,अभिभाषक,प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री त्रिलोकचन्द मेहता,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1से 3 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,अप्रार्थी सं. 4 की ओर से।

आदेश — दिनांक 14.5.2018

1. यह रेफरेन्स प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण के अनुसार रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जाखल कृषि भूमि खसरा नम्बर (पुराने) 461 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा,खसरा नम्बर 591 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, जुमले रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा के खातेदार मनरूपा व रवला पिसरान् भगवानाराम, जातियान् भांबी(मेघवाल),निवासीगण जाखल के नाम खातेदारी में प्रथम सेटलमेन्ट के समय से चली आ रही है, मनरूपा व रवला पिसरान् भगवाना ,जाति मेघवाल का कब्जा काश्त लगातार होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2010 से 2013, संवत् 2014से 2017, 2018 से 2021 में अनुसूचित जाति के इन खातेदारों के नाम बतौर खातेदार दर्ज होता रहा है। सन् 1963 में अप्रार्थी के पिता भबूताराम पुत्र प्रतापाराम जाति विश्नोई ,निवासी जाखल ने ने एक वाद सं. 225/63 सहायक कलेक्टर मुख्यालय भीनमाल के न्यायालय में अनुसूचित जाति के व्यक्ति खातेदार

मनरूपा व रवला पिसरान् भगवानाराम के विरूद्ध पेश किया तथा बिना कोई बयान,सबूत साक्ष्य लिये उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अपने नाम घोषित करवा दी तथा उक्त फैसला दिनांक 12.12.1963 के आधार पर म्युटेशन सं. 55से खातेदारी में भबूता पुत्र प्रतापाराम विश्नोई का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रार्थी सं.1–रवला का तथा प्रार्थी सं.2 से 4 के पिता /पति–मनरूपा का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया। अनुसूचित जाति के खातेदार मनरूपा व रवला पिसरान् भगवानाराम ने कभी भी अपनी इस खातेदारी भूमि का बैचान या हस्तान्तरण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति भबूता पुत्र प्रतापाराम विश्नोई का नही किया है।राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम किसी भी रूप में नही हो सकती है,ऐसी भूमि यदि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति भबूता के नाम मुकद्में के निर्णय के द्वारा भी हस्तान्तरित होती है तो ऐसा फैसला व डिक्री भी एबइनिश्यो वॉईड है तथा ऐसा निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अवैध आदेश के अनुसरण मे आगे किये गये समस्त परिवर्तन भी निरस्तनीय होने के कारण म्युटेशन सं.55 भी खारिज किया जावे। पुराने खसरा नम्बर 461 के द्वितिय सेटलमेन्ट में सृजित नये खसरा नम्बर 1021 व 1022 में तथा पुराने खसरा नम्बर 591 की भूमि नये खसरा नम्बर 1238 में शामिल की गई है। प्रार्थी सं.1 रवला अनुसूचित जाति का मूल खातेदार है व प्रार्थी सं.2 से 3 मूल खातेदार स्वर्गीय मनरूपा के पुत्र है । अप्रार्थीगण स्वर्गीय भबूता विश्नोई के पुत्र है जिनका नाम वर्तमान जमाबंदी में भबूता की मृत्यु पर दर्ज हुआ है। सहायक कलेक्टर भीनमाल के मुकद्मा नम्बर 225/63 में पारित फैसला दिनांक 12.12.1963 बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रार्थीगण के पिता भबूता के पक्ष में पारित किया गया है,सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिन में कर वाद डिक्री किया है जो अवैध व शून्य होने से निरस्तनीय है। इसी प्रतापाराम विश्नोई के पुत्र चिमाराम ने एक अन्य वाद 223/63 सहायक कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 13.12.1963 को अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्तियों की भूमि वाद द्वारा अपने नाम घोषित करवायी है तथा इसी भबूताराम ने वाद सं.90/67 के द्वारा भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि अपने नाम करवायी है। मौके पर उक्त भूमि पूर्व की भांति खुली पडी है तथा प्रार्थीगण का कब्जा है। रेफरेन्स की कोई म्याद निर्धारित नही है। अवैध आदेश व डिक्री को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है ,इस हेतु कोई म्याद की कोई बांधा नही है। अतः सहायक कलेक्टर भीनमाल के मुकद्मा सं.225/63 ,दिनांक12.12.1963 के निर्णय व

डिक्री को निरस्त कर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे तथा इस आदेश व डिक्री के अनुसरण में भरे गये नामान्तरकरण सं.55 व अन्य पश्चात्वर्ती कार्यवाही को भी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स किया जावे। प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र व फहरिस्त के साथ खतौनी बन्दोबस्त व जमाबंदी की आदि नकले पेश की। इस पर रेफरेन्स दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थीगण के रेफरेन्स प्रार्थनापत्र का जवाब अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से दिनांक 4.9.17 को प्रस्तुत किया कि भबूताराम के हक में राजस्व वाद सं. 225/63 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान था लेकिन प्रार्थी रवला या मनरूपा पुत्र भगवाना के द्वारा अन्दर म्याद अपील पेश नही की है जिससे एकस्ट्रा ओर्डिनरी रेमेडी के तहत् रेफरेन्स पेश करने से प्रार्थीगण एस्टोप्ड है। प्रार्थीगण ने वाद सं. 225/63 का निर्णय दिनांक 12.12.1963 को होने से लगभग 54 वर्ष पश्चात् रेफरेन्स पेश करने से प्रार्थनापत्र निरस्त करने योग्य है।प्रार्थीगण ने प्राइवेट रेफरेन्स म्याद बाहर पेश किया है। खसरा नम्बर 461,591की आराजी पर रवला व प्रार्थी सं.2 लगाय 4 के पिता मनरूपा का कब्जा कभी नही रहा है तथा न ही रवला व मनरूपा खातेदार रहे, प्रथम सैटलमेन्ट के समय राजस्व रेकर्ड में हाली होने से गलत इन्द्राज हो गये। किसी न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच कर वाद को फैसल करने में कानूनी बाधा नही है तथा निर्णय होने से भबूता की खातेदारी घोषित होने से राजस्व रेर्ड में भबूता बतौर खातेदार दर्ज किया गया। धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा में बैचान ,बख्शीश आदि से रोका गया है जिसमें वाद की डिक्री शामिल नही है। वाद की डिक्री का ट्रांसफर नही होता है। प्रार्थीगण ने अपने परिवार का कुर्सीनामा वर्णित नही किया तथा वारिशान् होने के दस्तावेज पेश नही किये है। अन्य प्रकरण का सबंध इस रेफरेन्स से नही है,वाद सं. 223/63 में पक्षकार अलग है तथा न्यायालय का सहायक कलेक्टर भीनमाल का निर्णय व डिक्री शून्य व निरस्तनीय नही है। वर्ष 1963 में धारा 42–बी राज. काश्तकारी अधिनियम प्रभावी नही था। भबूताराम के द्वारा प्रस्तुत वाद सं. 90/67 भी सही है, जिसे कानून के तहत् स्वीकार कर डिक्री किया गया है। हालाकि वाद का सबंध इस रेफरेन्स प्रार्थनापत्र से नही है। रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ डिक्री व निर्णय प्रति पेश नही होने से रेफरेन्स प्रार्थनापत्र मेन्टनेबल नही है तथा रेफरेन्स प्रार्थनापत्र काफी देरीना पेश होने से काबिल निरस्त है। अतः प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने अपने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों दोहराया व बताया कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं.1से 3 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम जाखडी के पुराने खसरा नम्बर 461 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 591 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जुमले 12 बीघा 7बिस्वा भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2039 में उपभोक्ता में मनरूपा, रवला पि.भगवाना,कौम भाम्बी साकिन जाखड के नाम कॉलम सं.4 में उपभोक्ता के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। दिनांक 12.12.1963 को सहायक कलेक्टर भीनमाल ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.1963 के द्वारा इस खातेदारी भूमि की डिक्री अप्रार्थी सं. 2से 3 के पिता भबूता के नाम जारी की और उसी नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद जरिये नामान्तरकरण सं. 55 किया गया। प्रार्थी सं. 1–रवला स्वयं व प्रार्थी सं.2 से 4 के पिता–मनरूपा थे जो फौत हो चुके है, वे दोना अनुसूचित जाति के काश्तकार थे और पुराने खसरा नम्बर 461 व 591 उनकी खातेदारी की भूमि थी जो खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2039 से साबित होती है। तत्पश्चात् जमाबंदी संवत् 2010से 2013, 2014 से 2017 व 2018से 2021 तक में भी प्रार्थी सं.1 स्वयं की व प्रार्थी सं.2से 4 के पिता खातेदार रहे है और मनरूपा फौत हो चुका है। नामान्तरकरण सं. 55 के अनुसार अप्रार्थी सं. 1–रवला व प्रार्थी सं. 2से 3 के पिता–मनरूपा के स्थान पर अप्रार्थी सं.1से 3 के पिता–भबूता के नाम खसरा नम्बर 461 व 591 में दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में मनरूपा, रवला के स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता भबूता के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। तत्पश्चात् संवत् 2022 से लेकर आज तक अप्रार्थी सं.1 से 3 के पिता–भबूता के नाम चली आ रही है। प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय यानि संवत् 2012 में खसरा नम्बर 461 व 591 ग्राम जाखल का खातेदार काश्तकार रवला पुत्र भगवाना कौम भांबी साकिन जाखल अनुसूचित जाति का कृषक है व मनरूपा पुत्र भगवाना कौम भांबी, साकिन जाखल (फौत) जो भी अनुसूचित जाति का कृषक था। जहां तक कब्जा काश्त का प्रश्न है ,संवत् 2012 से 2021 तक रवला व मनरूपा का रहा क्योंकि जमाबंदियों संवत् 2012 से 2021 तक इनके नाम कब्जा काश्त

में दर्ज थी। इससे साबित है कि वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर डिक्री जारी होने से पूर्व तक रवला ,मनरूपा के नाम कब्ता काश्त खसरा नम्बर 461,591पर था ,अप्रार्थी सं.1से 3 के पिता भबूता जिसके नाम डिक्री जारी की गई है व निर्णय दिया गया है जिसे खातेदार घोषित किया गया है वह स्वर्ण जाति का काश्तकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42''ख'' के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति के काश्तकार की भूमि का हस्तान्तरण स्वर्ण जाति के काश्तकार को नही हो सकती थी । अप्रार्थी सं. 1से 3 के अभिभाषक का तर्क हैं कि यह हस्तान्तरण जरिये बैचान नही हुआ है बल्कि न्यायालय की डिक्री द्वारा हुआ है इसलिए धारा 42 के प्रावधान के अन्तर्गत शुमार नही होता है। इस कथन से हम सहमत नही है क्योंकि धारा 42''ख''बाबत् माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनगिनत निर्णय पारित हुए है जो नजीरे बने है, उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि डिक्री के द्वारा किया गया हस्तान्तरण धारा 42''ख'' की परिधि में आता है। अप्रार्थी सं.1से 3 के वकील ने जवाब में यह स्वीकार किया हैं कि प्रथम सेटलमेन्ट के समय रवला व मनरूपा के राजस्व रेकर्ड में हाली होने से गलत इन्द्राज हो गये। इस प्रकार प्रथम सेटलमेन्ट में कब्जा काश्त रवला व मनरूपा का था जो सहायक जिलाधीश भीनमाल के द्वारा डिक्री जारी करने से पूर्व तक रवला का तथा मनरूपा का कब्जा काश्त रहा।

प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत के समय सहायक कलेक्टर भीनमाल के निर्णय व डिक्री नकल पेश नही की थी लेकिन उक्त निर्णय व डिक्री से सबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हो चुकी है जिससे अब निर्णय व डिक्री की प्रति की आवश्यकता नही रही है। इसके अलावा, अगर सरकार की ओर से धारा 42–बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के उल्लंघन बाबत् रेफरेन्स प्रकरण पेश नही किया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत करने मे कोई अवैधानिकता नही हैं।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1से 3का तर्क हैं कि रेफरेन्स लम्बी समयावधि गुजरने के बाद नही किया जा सकता है। वैसे एबइनिश्यो वॉइड नामान्तरकरण एव डिक्री के लिए रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु कोई भी समय निर्धारित नही हे और वह किसी भी समय जानकारी होने पर किया जा सकता है। धारा 42'ख'' के अन्तर्गत हस्तान्तरण की परिधि में डिक्री भी आती है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह भलीभांति साबित होता हैं कि एस.डी.ओ.भीनमाल ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.1963 के द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार काश्तकार रवला व मनरूपा की भूमि को जरिये

डिक्री पारित कर स्वर्ण जाति के काश्तकार को हस्तान्तरण की गई है जो धारा 42''ख'' के प्रावधानों के विपरीत है। अतः डिक्री एवं उसके अनुपालन में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं.55 निरस्त किये जाने योग्य होने से रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वास्ते रेफरेन्स उचित मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स किया जाता है कि ग्राम जाखल के पुराने खसरा नम्बर 461रकबा 5 बीघा 16बिस्वा,व खसरा नम्बर 591रकबा 6बीघा 11 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थी सं.1—रवला व मनरूपा (अप्रार्थी सं.2से 4 के पिता) के नाम खातेदारी में दर्ज रही,मनरूपा फौत हो चुका है जो अनुसूचित जाति के काश्तकार रहे है,उक्त भूमि का हस्तान्तरण जरिये डिक्री एस.डी.ओ.भीनमाल ने दिनांक 12.12.1963 को भबूता(अप्रार्थी सं.1से 3 के पिता) के हक में किया है ,भबूता व उसके कायम मुकाम स्वर्ण जाति के काश्तकार है,ऐसी स्थिति में डिक्री और फैसला दिनांक 12.12.1963 तथा इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 55 निरस्त करवाने का श्रम करावे। पक्षकारान को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक **12.7.2018** को माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में उपस्थित रहे। उक्त भूमि का रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन होने से अप्रार्थी सं.1 से 4 उक्त भूमि का माननीय राजस्व मण्डल से कोई अग्रिम आदेश नही होने तक बैचान नही करे, इसकी प्रति तहसीलदार (उप पंजीयक) सांचोर को भी भेजी जावे।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश आज दिनांक 14.5.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर